# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

**पीठासीन अधिकारी श्री विश्वामित्र मीना आर.ए.एस.**

वाद संख्या :– 02 / 29 / 2012

गीता देवी बनाम् रामजी लाल वगै0

प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0एक्ट0

दिनांक 08.10.2018

आज पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेंश हुई। जैसा कि प्रकरण में दिनांक 03.02.2012 को विवादित आराजी ख0नं0 880 / 0.22, 881 / 0.15, 882 / 0.08, 883 / 0.08, 884 / 0.07 वाके ग्राम धमरेड तहसील राजगढ पर किसी प्रकार का निर्माण नही करने तथा कार्यकाश्त प्रार्थी में मजाहमत नही करने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 09.04.2012 तक के लिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश अप्रार्थीगण के विरूद्व जारी किये गये तथा प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थीगण असालतन वकालतन उपस्थित न्यायालय होकर जबाव प्रार्थना पत्र पेंश किया गया। आज पत्रावली पर बहस वकुलाय सुनी गई वकुलाय द्वारा प्रकरण में विवादित आराजी की मौके की यथास्थिति व नवीन निर्माण नही करने बाबत अप्रार्थीगण को पाबन्द करते हुये प्रकरण के निस्तारण के लिये सहमति दी गई। मैने पत्रावली का अवलोकन किया। हस्ब सहमति वकुलाय प्रार्थना पत्र प्रार्थी मुताबिक सहमति वकुलाय के अनुसार काबिल स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट0 विवादित आराजी ख0नं0 880 / 0.22, 881 / 0.15, 882 / 0.08, 883 / 0.08, 884 / 0.07 वाके ग्राम धमरेड तहसील राजगढ मुताबिक सहमति वकुलाय स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरित अस्थाई निषेधाज्ञा से दावे के निर्णय तक पाबन्द किया जाता है कि वो विवादित आराजी उक्त की मौके की यथास्थिति बनाये रखे व नवीन निर्माण नही करें।

` निर्णय आज दिनांक 08.10.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर संलग्न मूल वाद हो।

(विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)